



जिला परिषद कार्यालय, देवघर

दूरभाष संख्या - 06432-232344, फ़ैक्स - 06432-231675 E-mail - ddcdeoghar@gmail.com

ज्ञापांक.....701/जि०प०, देवघर, दिनांक.....29 सितम्बर, 2026 ई०।

प्रेषित,

श्री प्रशान्त कुमार साहु,
पिता - श्री प्रमोद कुमार साहु,
पता - शरोसी भवन, बड़ोदा बाड़ी,
सत्संग नगर, देवघर।

विषय :- जिला परिषद, देवघर के कार्यालय परिसर स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक "डी0" के दुकान संख्या 06 एवं 07 (भू-तल) का आवंटन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके द्वारा जिला परिषद, देवघर कार्यालय परिसर स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक "डी0" के दुकान संख्या 06 (भू-तल) हेतु निर्धारित सुरक्षित राशि अधिकतम बोली मो0 4,05,000.00 (चार लाख पाँच हजार) रुपये तथा ब्लॉक "डी0" के दुकान 07 (भू-तल) हेतु निर्धारित सुरक्षित राशि मो0 4,00,000.00 (चार लाख) रुपये कुल 8,05,000.00 (आठ लाख पाँच हजार) रुपये मात्र जमा किया गया है। विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	नाम व पता	दुकान संख्या	सुरक्षित राशि विवरणी	ड्राफ्ट विवरणी	बैंक विवरणी	राशि
1	2	3	4	5	6	
1	श्री प्रशान्त कुमार साहु, पिता - श्री प्रमोद कुमार साहु, पता - शरोसी भवन, बड़ोदा बाड़ी, सत्संग नगर, देवघर।	सत्संग नगर कार्यालय परिसर ब्लॉक "डी0" दुकान संख्या 06	20 प्रतिशत 80 प्रतिशत	010447 / 14.09.2026 010462 / 19.09.2026	HDFC Bank HDFC Bank	80000.00 325000.00
2	श्री प्रशान्त कुमार साहु, पिता - श्री प्रमोद कुमार साहु, पता - शरोसी भवन, बड़ोदा बाड़ी, सत्संग नगर, देवघर।	सत्संग नगर कार्यालय परिसर ब्लॉक "डी0" दुकान संख्या 07	20 प्रतिशत 80 प्रतिशत	010448 / 14.09.2026 010463 / 19.09.2026	HDFC Bank HDFC Bank	80000.00 320000.00
Total						805000.00

8,05,000.00 (आठ लाख पाँच हजार) रुपये मात्र।

अतः जिला परिषद, देवघर कार्यालय परिसर स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक "डी0" के दुकान संख्या 06 एवं 07 (भू-तल) आपको दिनांक 01.10.2026 के प्रभाव से आवंटित किया जाता है। उक्त दुकान का किराया आवंटन की तिथि से देय होगा तथा प्रत्येक चालु माह में मो0 9925.00 (नौ हजार नौ सौ पचीस) रुपये प्रति दुकान प्रति माह अनिवार्य रूप से किराया जमा करना होगा। दुकान में विद्युत का कनेक्शन अपने नाम से करवायेंगे एवं भुगतान करेंगे तथा परिसर में साफ-सफाई एवं शांति बनाए रखेंगे। दुकान में किसी प्रकार की अस्थायी परिवर्तन हेतु अधोहस्ताक्षरी से पूर्व अनुमति आवश्यक है तथा अधोहस्ताक्षरी के मार्गदर्शन में कार्य किया जायेगा। एक सप्ताह के अंदर आवंटित दुकान का एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे।

उप विकास आयुक्त -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।